26.02.21

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी का सही नाम लोकचन्द पुत्र काशीराम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से गलत नाम श्रीराम पुत्र काशीराम दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जनआधार कार्ड जिनमें सही नाम है की प्रतियां पेश किये।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम श्रीराम पुत्र काशीराम अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का सही नाम लोकचन्द पुत्र काशीराम है की पुष्टि पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जनआधार कार्ड जिनमें सही नाम है से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम कुशलपुरा स्थित भूमि खसरा संख्या 381 [illegible]मान राजस्व रिकॉर्ड में **श्रीराम पुत्र काशीराम** के स्थान पर **लोकचन्द पुत्र काशीराम** दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:08:28 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना